No.8-62/86-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
Deptt. of Environment, Forest& Wildlife

.....

New Delhi, 18th June 1987

To
The Secretary,
Forest Department,
Govt. of Madhya Pradesh,
B H O P A L

Subj:- Diversion of 874.146 ha. of forest land in Sidhi District for grant of surface rights for mining of coal to Central Coalfields Limited (Singhi Project).

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F1/1/144/B1/10/3 dated 4th August, 1986 on the above subject seeking prior approval of the Central Govt. in accordance with Section 1 of the Forest(Conservation) Act 1980.

2. The proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Government under Section 3 of the aforesaid Act.

3. After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the above mentioned Advisory Committee, the Central Govt. hereby conveys its approval under Section 3 of the Forest(Conservation) Act,1980 for release of 874.146 ha. of forest land in Sidhi District for mining of Coal to Central Coalfields Ltd. subject to the following conditions:-

i) The compensatory afforestation will be raised on 874.146 ha.of non-forest land and this non-forest land will be handed over to the Forest Deptt. for afforestation before starting the work in the proposed area. In addition to above, compensatory afforestation will also be raised over 1784.292 ha. of degraded forest land.

ii) The clearance will be withdrawn if the disciplinary action is not completed within six months from the date of approval.

iii) Legal status of the forest to remain unchanged.

iv) Mined over area to be reclaimed/restored after mining/quarrying is over

..2..

v) In order that the construction labour and staff while working on the project in the forest area may not cause destruction to the forest area for meeting their fuelwood needs, the agency will establish fuelwood depots and will provide the fuelwood to them free of cost or its cost deducted from their salary & wages.

vi) Arrangements to be made by the project authorities for free supply of fuelwood or other sources of energy to the staff and labourers engaged in the project free of cost.

vii) No explosive should be allowed to stored in the forest area.

viii) The conditions/safeguards proposed while clearing the project from environment angle to be followed strictly.

Sd/-

(R.S. BISHT)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

Copy to:-

1. The Chief Conservator of Forests, Govt. Madhya Pradesh, Bhopal.

2. Shri K.P. Nagaraja, Conservator of Forest (Central) Regional Office (Central zone), plot No. B-1/187, Arera Colony, Bhopal (MP).

3. Director, Impact Assessment Division, Deptt. of Environment, Forests & Wildlife.

4. Joint Secretary, Ministry of Energy, Deptt. of Coal. (Shri N.R. Krishnan), New Delhi.

5. Guard file.

Sd/-

(R.S. BISHT)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक एफ.5/146/85/10/3 भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1988

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (विकास)
म०प्र० भोपाल।

विषय:- नार्दन कोल फील्ड्स लिमि० को सीधी जिले में निगाही प्रोजेक्ट में खुली कोयला खदान हेतु 874.146 हेक्टर वन भूमि पर उपरितल अधिकार की स्वीकृति।

संदर्भ :- (1) नार्दन कोल फील्ड्स लिमि० के पत्र क्र०एल.जी./आर/ेव/1-44/1491, दिनांक 22/12/87,

(2) मुख्य वन संरक्षक (विकास) के ज्ञापन क्र०/मु.प्रबंध/पुबद अनिज/48/361, दिनांक 12-1-88,

(3) नार्दन कोल फील्ड्स लिमि० के पत्र क्र० सिंगरोली/राजस्व/1-37/50-53, दिनांक 9-1-88,

=====

प्रकरण में शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 19-3-86 से भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-62/86-एफ.सी. दिनांक 18-6-87 से प्राप्त अनुमति के आधार पर तथा उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा भारत सरकार से लगाई शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में शासन द्वारा पूर्व सीधी वन मंडल की 874.146 हेक्टर आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि निगाही कोयला परियोजना हेतु कोयला उत्खनन एवं डम्पिंग कार्य के लिए स्वीकृति लीज अवधि में नार्दन कोल फील्ड्स लिमि० सिंगरोली कालरी जिला सीधी को निम्नलिखित शर्तों पर उपरितल अधिकार पर देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा। भूमि पर स्वात्वाधिकार वन विभाग का ही रहेगा। संस्थान को केवल वन भूमि के उपयोग का अधिकार रहेगा।

(2) संस्थान से प्राप्त वृक्षारोपण राशि से प्राप्त समतुल्य राजस्व भूमि तथा दुगने बिगड़े वन क्षेत्र 1748.292 हेक्टर पर वृक्षारोपण किया जावे। प्रस्तावित राजस्व भूमि का पहले अधिपत्य प्राप्त करें व उसे वन भूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना शासन को शीघ्र प्रेषित की जावे।

(3) वन क्षेत्र पर खड़े वृक्षों का विदोहन वन विभाग द्वारा किया जाने उपरान्त वन भूमि संस्थान को उपयोग पर दी जावेगी ।

(4) कोयले का पूर्ण भंडारण खोदकर निकाल लेने के पश्चात् उत्खनित क्षेत्र को भरा जावे तथा पूर्वतः स्थिति में किया जावे ।

(5) कार्यरत अवधि में श्रमिकों/कर्मचारियों के द्वारा निकटस्थ वन को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाये इस सम्भावना से बचने के लिए संस्थान द्वारा श्रमिकों/कर्मचारियों को जलाऊ लकड़ी का डिपो खोलकर निःशुल्क जलाऊ लकड़ी/ईंधन उपलब्ध कराया जाय या उनके पराश्रमिक से उपलब्ध कराये गये ईंधन की कीमत वसूल की जावे ।

(6) वन क्षेत्र में बारूद का भण्डारण नहीं किया जावे ।

(7) पर्यावरण स्वीकृति में सुरक्षात्मक जो उपाय सुझाये गये हैं, उनका पूर्णतः पालन किया जाय ।

(8) इस वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भारत शासन पर्यावरण व वन मंत्रालय के पत्र क्र0 8-62/86-एफ.सी. दिनांक 20-4-88 में दिए गये निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही कर उसकी सूचना 3 माह के भीतर दी जाए अन्यथा यह स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी ।

(9) संस्थान से लिखित वचन पत्र लिया जावे कि वन विभाग द्वारा इस संबंध में भविष्य में भी यदि कोई शर्तें निर्धारित की जाती है तो संस्थान उन्हें मानने के लिए बाध्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक मसीह)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,
भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1988,

पृ0क्र0एफ-5/146/85/10/3
प्रतिलिपि:-

1- महाप्रबंधक, उत्तरी कोयला खदान सिंगरोली पो0 सिंगरोली कालरी जिला सीधी (म0प्र0)

2- प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग भोपाल,

//3//

(3) जिलाध्यक्ष, सीधी, को अग्रेषित कर निवेदन है कि प्रस्तावित राजस्व भूमि का कब्जा वन विभाग को तत्काल दें।

(4) वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा.

(5) वन मंडलाधिकारी पूर्व सीधी वन मंडल सीधी सामान्य म0प्र0 को अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व भूमि का शीघ्र प्राप्त कर उसे वन भूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना मुख्य वन संरक्षक (विकास) को शीघ्र भेजें।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

सि0-7788.